बिहार सरकार

**मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**

**आदेश**

पटना, दिनांकः–.....

संख्याः–V/उ0–10–10/2016 (C.No.-203698) 6336 / जिला निबंधन कार्यालय, गयाजी के पत्रांक–1727 दिनांक–09.10.2026 द्वारा विभागीय आदेश–6150 दिनांक–08.10.2026 द्वारा श्रीमती चंद्रकांता कुमारी, अवर निबंधक, टिकारी के अवकाश अवधि में श्री निखिल अनुराग, संयुक्त अवर निबंधक, भागलपुर को अवर निबंधक, टिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किये जाने का उल्लेख करते हुए कर्मियों के वेतन भुगतान आदि हेतु श्री निखिल अनुराग, संयुक्त अवर निबंधक, संप्रति प्रतिनियुक्त अवर निबंधक, टिकारी, गयाजी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में श्रीमती चंद्रकांता कुमारी के अवकाश से लौटने तक श्री निखिल अनुराग, प्रतिनियुक्त अवर निबंधक, टिकारी, गयाजी को अवर निबंधक कार्यालय, टिकारी, गयाजी में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं अन्य विपत्रों की निकासी हेतु बिहार कोषागार संहिता–2011 के नियम–84 के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– V/उ0–10–10/2016 6336 पटना, दिनांकः– 22.10.26

प्रतिलिपिः–1. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. समाहर्त्ता, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी/जिला अवर निबंधक, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी पदाधिकारी, सी0एफ0एम0एस0 कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. बजट शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री निखिल अनुराग, प्रतिनियुक्त अवर निबंधक, टिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. विभागीय प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव।